राजस्थान सरकार

आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

Block-4, RKS Sankul, JLN Road, Jaipur- 302015, Rajasthan
Website: http://hte.rajasthan.gov.in/dept/dce/ e-mail: cce_raj@yahoo.com Phone: 0141-2706847 (O);

पत्रांकः CCE/ P&C/ ISDC/ 2019/584 Date: 31st January 2019

प्राचार्य
समस्त राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।

विषयः प्रभारी अधिकारियों द्वारा राजकीय महाविद्यालयों के साथ संवाद के माध्यम से सरकार के यथा निर्देशित कार्यक्रमों /निर्देशों की क्रियान्विति की सूचना भरकर प्रेषित करने के प्रारुप (100 दिवसीय कार्य योजना के प्रस्तावों के प्रारुप सहित) के संबंध में।

आयुक्तालय कालेज शिक्षा द्वारा राज्य के सभी 252 राजकीय महाविद्यालयों के साथ प्रभावी समन्वय हेतु नियुक्त प्रभारी अधिकारियों की महाविद्यालयों के साथ प्रथम चरण की बैठक में आपके साथ पुनः साझा किये गये निर्देशों यथा प्रतियोगिता दक्षता कार्यक्रम, सामान्य ज्ञान की पुस्तक का निःशुल्क वितरण, महाविद्यालयों में स्वच्छ, स्वस्थ, सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करने, महाविद्यालय स्तर पर 100 दिवसीय कार्य योजना तैयार करने तथा विद्यार्थियों में रोजगारोन्मुखी उद्यमिता एवं कौशल विकासपरक पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ करवाना आदि, के संबंध में वांछित सूचनाएं/प्रस्ताव संबंधित प्रभारी अधिकारी के माध्यम से आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, जयपुर को प्रेषित करनी हैं। महाविद्यालय द्वारा 100 दिवसीय कार्य योजना के प्रत्येक प्रस्ताव के साथ निर्देशित प्रारुप के अनुरुप प्रस्ताव का विवरण भी तैयार कर संलग्न करना अनिवार्य है।

इसके अतिरिक्त, विद्यार्थियों में अभिरुचि अनुरुप खेलकूद अभिवृत्ति विकास पर भी विशेष ध्यान दिया जाना अपेक्षित है। अतः जो महाविद्यालय किसी विशेष खेलकूद अभिवृत्ति विकास के लिये खेलकूद अकादमी/हब विकसित करना चाहें, उनसे भी इस प्रयोजनार्थ प्रस्ताव आमंत्रित हैं। इन प्रस्तावों को 100 दिवसीय कार्य योजना का भाग बनावें तथा प्रस्ताव को प्रभारी अधिकारी के माध्यम से आयुक्तालय, कालेज शिक्षा, जयपुर को प्रेषित करें।

महाविद्यालय द्वारा प्रेषित सूचना/ प्रस्ताव की एक प्रति संबंधित क्षेत्रीय सहायक निदेशक को भी आवश्यकरुप से भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।

इस संबंध में किसी प्रकार की सहायता/मार्गदर्शन हेतु संबंधित प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क करें।

<u>संलग्नः</u>
1. प्रस्ताव लेखा प्रारुप।
2. प्रस्ताव विवरण प्रारुप।
3. 100 दिवसीय कार्य योजना हेतु सुझाव बिन्दू।

प्रदीप कुमार बोरड़, IAS
विशिष्ट शासन सचिव, एवं
आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान;

पत्रांकः CCE/ P&C/ ISDC/ 2019/ 584 Date: 31st January 2019

प्रतिलिपि सूचनार्थ :

1. निजी सचिव, आयुक्त, कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, HRD /Acad. /Admn. /PI /P&C /RUSA, आकाशि, जयपुर।
3. क्षेत्रीय सहायक निदेशक, जयपुर/अजमेर/कोटा/भरतपुर/जोधपुर/बीकानेर/उदयपुर।
4. समस्त प्रभारी अधिकारीगण, कालेज समूह, आयुक्तालय कालेज शिक्षा, जयपुर।
5. IT /वैबसाइट प्रभारी, आकाशि को वैबसाइट पर अपलोड़/ई-मेल करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

डा. विनोद कुमार भारद्वाज
प्रभारी, नवाचार एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ तथा
समन्वयक, प्रतियोगी परीक्षा परियोजना

राजकीय महाविद्यालय .... जिला ....

महाविद्यालय स्तर पर 100 दिवसीय कार्ययोजना के प्रस्तावों का संक्षिप्त लेखा

क्र. सं.	श्रेणी	प्रस्ताव		परियोजना कार्य क्षेत्र*	लाभार्थी संख्या (अनुमानित)	वित्तीय भार विवरण		विशेष विवरण	संलग्नक संख्या
						अनुमानित व्यय (रुपये)	स्रोत #		
A.	विद्यार्थी हित केन्द्रित	1.							
		2.							
		3.							
		4.							
B.	संस्था विकास केन्द्रित	1.							
		2.							
		3.							
		4.							
C.	संकाय सदस्य केन्द्रित	1.							
		2.							
		3.							
		4.							
D.	सामाजिक विकास/ सरोकार केन्द्रित	1.							
		2.							
		3.							
		4.							

नोटः 1. किसी श्रेणी में आवयश्कता होने पर अतिरिक्त पंक्ति जोडें।
2. प्रत्येक प्रस्ताव का विस्तृत विवरण संलग्न प्रारुप के अनुसार तैयार कर इस लेखा पत्र के साथ संलग्न कर उसकी संलग्नक संख्या इस लेखा पत्र में अंकित करें।

*** कार्य क्षेत्र : (स्थानीय/ जिला /सम्भाग /राज्य /राष्ट्रीय स्तरीय)**
 # स्रोतः (दानदाता/जनसहभागिता/विकास समिति/CSR/अन्य)

हस्ताक्षर (समन्वयक) :   दिनांक : ....   हस्ताक्षर (प्राचार्य) :

समन्वयक का नाम : ....   प्राचार्य का नाम : ....

मोबाइल नम्बर : ....   मोबाइल नम्बर : ....

महाविद्यालय स्तर पर 100 दिवसीय कार्ययोजना के प्रस्ताव का विस्तृत विवरण

प्रस्ताव परिचय

A. प्रस्ताव की श्रेणी : ....

B. परियोजना शीर्षक : ....
....

C. परियोजना का कार्य क्षेत्र : ....

प्रस्ताव विवरण

1. प्रस्ताव के उद्देश्य :
   - ....
   - ....
   - ....

2. प्रस्ताव की उपादेयता :
   - ....
   - ....
   - ....

3. प्रस्ताव का लक्ष्य समूह :
   - ....
   - ....
   - ....

4. प्रस्ताव की समय सीमाएं :
   - प्रस्ताव प्रस्तुत करने की तिथि : --------------------------------
5.
   - कार्य आरम्भ की तिथि : --------------------------------
6.
   - कार्य पूर्ण करने की तिथि : --------------------------------

7. प्रस्ताव के क्रियान्वयन की रुपरेखा : विस्तृत रुपरेखा अधिकतम 3 पृष्ठों में अलग से तैयार कर इस प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

8. अनुमानित व्यय विवरण : अनुमानित कुल व्यय राशि : .... (रुपये)

क.सं.	परियोजना व्यय का विवरण	मात्रा	अनुमानित राशि	विशेष टिप्पणी
	कुल योग (रुपये)			

9. महाविद्यालय स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं का विवरण :

- ....
  ....
  ....
  ....
  ....
  ....

10. आयुक्तालय कालेज शिक्षा के स्तर से इस प्रस्तावित परियोजना के संबंध में सहयोग हेतु अपेक्षाएं :

- ....
  ....
  ....

11. इस प्रस्तावित परियोजना के संबंध में अन्य विवरण :

- ....
  ....
  ....

कार्य योजना प्रस्ताव तैयार करने वाली समिति सदस्यों के नाम एवं हस्ताक्षर :

हस्ताक्षर :	....	हस्ताक्षर :	....
नाम :	....	नाम :	....

हस्ताक्षर (समन्वयक):	....	हस्ताक्षर (प्राचार्य) :	....
समन्वयक का नाम :	....	प्राचार्य का नाम :	....
मोबाइल नम्बर :	....	मोबाइल नम्बर :	....

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

100 दिवसीय कार्य योजना प्रस्तावों मे सम्मिलित किये जाने योग्य बिन्दुओं पर सुझाव
(ये बिन्दु केवल सुझाव हैं, महाविद्यालय अपने स्तर पर आवश्यकतानुरुप इनके अतिरिक्त भी बिन्दुओं को सम्मिलित कर सकते हैं)

A.	विद्यार्थी हित केन्द्रित	1. प्रतियोगी परीक्षा क्लासेस, 2. विद्यार्थियों को अकादमिक सहायता, 3. एक्स्ट्रा/रेमेडियल क्लासेस, 4. रोजगारोन्मुख उद्यमिता एवं कौशल विकास कोर्सेस एवं प्रशिक्षण, 5. रोजगार हेतु साक्षात्कार/बायोडाटा तैयारी करने हेतु कार्यशाला 6. भाषा कौशल (अंग्रेजी, हिन्दी, संस्कृत व अन्य भाषाएं), 7. आत्मरक्षा प्रशिक्षण, 8. समर–कैम्प, 9. क्रीडा एवं खेलकूद विकास, 10. व्यक्तित्व विकास, 11. विद्यार्थी सुरक्षा एवं भयमुक्त कैम्पस के लिये कवायद, 12. विद्यार्थी मैन्टरिंग, 13. कैन्टीन सुविधा।
B.	संस्था विकास केन्द्रित	1. नये भवन का निर्माण, 2. भवन मरम्मत, 3. महाविद्यालय परिसर का सौन्दर्यीकरण, 4. ई–रिपॉजिटरी, 5. विद्यार्थी सहकारितापरक बुक स्टोर, 6. डोनेशन बेस्ड़ बुक बैंक, 7. कार्य पारदर्शिता एवं सुधार हेतु समूह संवाद कार्यक्रम (प्राचार्य एवं शिक्षक संवाद; तथा प्राचार्य एवं विद्यार्थी संवाद)।
C.	संकाय सदस्य केन्द्रित	1. विषयपरक ज्ञान अभिवृद्धि हेतु अन्तरसंकाय संवाद कार्यक्रम, 2. महाविद्यालय स्तर पर विषयपरक ओरिएन्टेशन/रिफ्रैसर कोर्स, 3. महाविद्यालय स्तर पर शोध अभिवृत्ति अभिवृद्धि हेतु कार्यशालाएं।, 4. फैकल्टी एक्सचेन्ज कार्यक्रम। (उपरोक्त सभी कार्यक्रम महाविद्यालय स्थानीय/जिला स्तरीय/सम्भाग स्तरीय आयोजन का प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं, परन्तु इनकी पूर्वानुमति आयुक्तालय कालेज शिक्षा, जयपुर से प्राप्त करनी अनिवार्य है। साथ ॉि इस प्रयोजनार्थ आवश्यक व्यय हेतु संसाधन व्यवस्था महाविद्यालय ही को करनी होगी।)
D.	सामाजिक विकास/ सरोकार केन्द्रित	1. गांव को गोद लेकर वहां गरीब बच्चों को पढ़ाना एवं ग्राम विकास में सहायता, 2. उच्च शिक्षा के स्वयंपाठी विद्यार्थियों की सहायता हेतु योजना। 3. महिला स्वास्थ्य एवं साक्षरता हेतु कार्यक्रम संचालन। 4. महिला सशक्तिकरण आधारित निकटवर्ती गांव में जागरुतकता कार्यशाला एवं संवाद कार्यक्रम। 5. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और देश बढ़ाओं आधारित निकटवर्ती गांव में जागरुतकता कार्यशाला एवं संवाद कार्यक्रम। 6. श्रमिक अधिकार एवं शोषण विरुद्ध संचेतना कार्यक्रम। 7. स्वच्छता अभियान में सहायता।